राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1288 / 2025

नाजनीन —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकाश एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय पंचायतीराज विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.02.2025
उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
समक्षः— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायत समिति राजाखेडा, धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति बाडी जिला धौलपुर में किया गया है। अपीलार्थी की दो छोटी बहन हैं, जो कि 94 एवं 91 प्रतिशत विकलांग है एवं उनकी जिम्मेदारी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 71 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के पिताजी की ऑपन हार्ट सर्जरी हुई है। एवं अपीलार्थी की माता मानसिक रूप से बीमार है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति बाडी जिला धौलपुर में किया गया है। अपीलार्थी की दो छोटी बहन हैं, जो कि 94 एवं 91 प्रतिशत विकलांग है। अपीलार्थी के माता पिता कई बिमारियों से पीडित है। चिकित्सकीय स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जो आलोच्य आदेश जारी होने से पहले कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)